अपील क्रमांक ए–5/रासूआ/113/अनूपपुर/05–06

श्रीमती अंजना खरे
डीडी/162,चचाई अनूपपुर — अपीलकर्ता
विरूद्ध
श्री एन.के.मलहोत्रा,
अधीक्षण अभियंता,(मुख्यालय)
कार्यालय कार्यपालक निदेशक,
म.प्र.पा.न.कं.लिमिटेड,अ.ता.वि.गृह,चचाई — लोक सूचना अधिकारी

श्री बी.आर.सपारे,
कार्यपालक निदेशक,
म.प्र.पा.न.कं0लिमिटेड,अ.ता.वि.गृह,चचाई — अपीलीय अधिकारी

आदेश

श्रीमती अंजना खरे द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को निम्नांकित सूचना प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र दिनांक 15 अक्टूबर,2005 को दिया था :–

(1) म.प्रं.वि.मं./म.प.रा.वि. उत्पादन कं.लि.में कार्यरत कनिष्ठ,वरिष्ठ शीघ्रलेखक,निज सहायक,निज सचिव,स्टाफ आफिसर गोपनीय अधिकारी के पृथक–पृथक कार्य,उत्तरदायित्व,जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कोई कर्मचारी वरिष्ठ शीघ्रलेखक का कार्य कर रहा है या ''निज सहायक/निज सचिव'' आदि ।

(2) शीघ्रलेखक संवर्ग के कर्मचारी के संबद्धता की प्रक्रिया/नियम क्या हैं । अर्थात् किस वर्ग के कर्मचारी को किस स्तर के अधिकारी से संबंद्ध किया जाता है ।

(3) क्या किसी शीघ्रलेखक संवर्ग के कर्मचारी को कार्यालय में सम्बद्ध/पदस्थ किया जाता है या सीधे किसी पदेन अधिकारी से सम्बद्ध किया जाता है ।

2. इस आवेदन पत्र में निर्धारित तीस दिन की अवधि में जानकारी न मिलने के फलस्वरूप अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र दिनांक 16 नवंबर,2005 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था । उन्होंने यह उल्लेख किया था कि उन्हें वांछित

जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । इस अपील के प्रस्तुत होने के बाद लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 001–01/स्था–2/3268 दिनांक 25.11.2005 के द्वारा यह जानकारी प्रदान की है । लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें प्रत्येक बिंदु पर उत्तर दे दिया है ।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत भी अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि0,जबलपुर में विभिन्न वर्गो के स्टेनोग्राफर्स की पदस्थापना एवं कार्य विवरण आदेश के संबंध में प्रश्न प्रस्तुत किए हैं । इस संबंध में प्रतिपक्षीय लोक सूचना अधिकारी ने बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत किया है जिसका मैंने अवलोकन किया ।

4. इस प्रकरण को मौखिक सुनवाई के लिए दिनांक 24 मार्च,2006 को रीवा में रखा गया था । अपीलकर्ता को इसकी सूचना दी गई थी कि वे अपनी अपील के संबंध में मौखिक सुनवाई चाहती हैं तो सुनवाई के समय उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । उन्होंने अपने पत्र दिनांक 3 मार्च,2006 के द्वारा लिखकर भेजा कि विद्यालयीन कार्य होने के कारण उनका उपस्थित होना संभव नहीं है, अतः पत्राचार/दस्तावेज के आधार पर उनकी अपील का निराकरण किया जाए ।

5. अपील के संबंध में दिनांक 24 मार्च,2006 को मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के लोक सूचना अधिकारी श्री एन.के.मलहोत्रा एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री बी.आर. सपारे को समक्ष में सुना गया । इस प्रकरण में अपीलकर्ता ने शीघ्रलेखकों की पदस्थापना एवं कार्य वितरण के संबंध में प्रश्न उठाए हैं,उनका उत्तर और जानकारी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिया जा चुका है । इस आयोग का संबंध सूचना को प्रदान करने से संबंधित है । इसलिए इस अपील का कोई औचित्य नहीं है,अतः इस प्रकरण पर अब किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त